राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–4) विभाग

क्रमांक प.5(5)प्र.सु./अनु–4/2006 जयपुर, दिनांकः – 3 OCT 2019

आज्ञा

यह ध्यान में लाया गया है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण विभाग, मुद्रण लेखन विभाग एवं कार्यालय निदेशक, लोक सेवाएं के अधीन कार्यरत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण कार्यालय में विलम्ब से उपस्थित होने पर भी उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति अंकित कर रहे हैं। उक्त कृत्य विद्यमान सेवा नियमान्तर्गत एवं सुसंगत दिशा–निर्देशानुसार धोर अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतः पूर्वाक्त विभागान्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे कार्यालय समय हेतु निर्धारित प्रातः 09.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर, अपनी उपस्थिति प्रातः 09.40 बजे तक आवश्यक रूप से अंकित करें। उक्त नियत समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में उनके नाम के आगे क्रॉस (X) अंकित कर दिया जायेगा तथा विद्यमान सेवा नियमान्तर्गत आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

साथ ही उल्लेखित विभाग के समस्त ग्रुप अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन निर्धारित समयोपरान्त उपस्थित होने वाले कर्मचारियों के कॉलम में क्रॉस (X) लगाकर, उपस्थिति पंजिका अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवश्यमेव भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
2. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
3. समस्त सहायक शासन सचिव/अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

(राम लाल गुर्जर)
संयुक्त शासन सचिव

VISHNU/AR/2019